प्रेषक,

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

सेवा में,

सचिव,
नगर विकास अनुभाग–1
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

पत्रांकः 334/न0आ0/अधि0/2014–15 दिनाँकः 15 जुलाई, 2014

विषय– **रिट पिटीशन सं0–40236/2012, असिफुद्दीन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य सबद्ध 106रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनाँक 26 मई, 2014 के अनुपालन में प्राथमिकता पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–171रिट/9–1–14–305 रिट/2012 दिनाँक 27 जून, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत रिट पिटीशन सं0–40236/2012, असिफुद्दीन व अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनाँक 26 मई, 2014 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु निर्देश दिये गये है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि नगर निगम, गोरखपुर में दिनाँक 06 दिसम्बर, 1991 के पश्चात् दैनिक वेतन मृतकाश्रित के रूप में 08 कर्मचारी, मा0 न्यायालय के अनुपालन में 32 कर्मचारी व आवश्यकतानुसार अन्य आधार पर 291 कर्मचारी कुल 331 दैनिक वेतन कर्मचारी के रूप में विभिन्न पदों पर कार्यरत है। उक्त दैनिक वेतन कर्मचारियों के सम्बन्ध में पत्र सं0–192/न0आ0/अधि0का0/न0नि0गो0/2014–15 दिनाँक 29 मई, 2014 द्वारा पूर्व में सूचना निर्धारित प्रारूप पर शासन को एवं पत्र सं0–191/न0आ0/प्र0अ0अधि0/न0नि0गो0/2014–15 दिनाँक 29 मई, 2014 एवं पत्र सं0–223/अधि0/न0नि0गो0/2014–15 दिनाँक 01 जुलाई, 2014 द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ, को प्रेषित की गई है।

कृपया अवगत कराना है कि शासनादेश सं0–104म0न0वि0/9–1–12–203सा/10 दिनाँक 23 जुलाई, 2012 द्वारा शासन के निर्देशों के अन्तर्गत, नियमानुसार भारत सरकार से वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य तथा मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नियुक्त संविदा कर्मियों की सेवायें समाप्त किये जाने का आदेश निर्गत किया गया था। निगम में संविदा पर मात्र 2 अवर अभियन्ता कार्यरत थे, जो शासन के आदेश द्वारा नियमित किये जा चुके हैं। उक्त के अतिरिक्त निगम में संविदा कर्मी न होने के कारण किसी अन्य कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की गई थी एवं तद्नुसार निदेशालय/शासन को अवगत भी कराया जा चुका है।

नगर निगम, गोरखपुर में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों का विवरण, सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/उत्तरदायी अधिकारी का नाम एवं उनसे निजी स्त्रोतों/भू–राजस्व की भाँति वसूली की कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में सूचना पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है तथा इस सम्बन्ध में उचित दिशा निर्देश हेतु भी अनुरोध किया गया है। शासनादेश दिनाँक 06.12.1991 एवं 23.07.2012 के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी निर्देश के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में किसी प्रकार के दैनिक वेतन कर्मी की नियुक्ति नहीं की जा रही है, किन्तु पूर्व से नियुक्त दैनिक वेतन कार्मिकों को निष्कासित किये जाने सम्बन्धी स्पष्ट निर्देश शासनादेश दिनाँक 23.07.2012 में न होने के कारण इन्हें निष्कासित किये जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

अतः अनुरोध है कि पूर्व में प्रेषित सूचनाओं को दृष्टिगत रखते हुए दैनिक वेतन कर्मचारियों को सेवा में बनाये रखने/निष्कासित किये जाने के सम्बन्ध में उचित दिशा निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय,

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर